Riyasat IAS Mentorship

To Crack CSE 2027-28

Riyasat IAS Foundation Mentorship Program

Prelims + Mains Program

Shaping Potential Into Performance

English - हिंदी माध्यम

Riyasat Ali Sir

IAS Mentor Since 2011

नीतिशास्त्र नोट्स - हिंदी मीडियम

More Information: 8090528260, 9319612575, 9266989092

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

- **कॉर्पोरेट गवर्नेंस** उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें **कंपनियों** का **निर्देशन और नियंत्रण** किया जाता है। इसमें कंपनी के विभिन्न **हितधारकों** जैसे **शेयरधारक, प्रबंधन, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, वित्तपोषक, सरकार और समुदाय** के हितों के बीच **संतुलन** बनाना शामिल है।
- **प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस** यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने सभी **हितधारकों** के साथ **जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता** के साथ व्यवहार करे और **नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं** को बढ़ावा दे।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

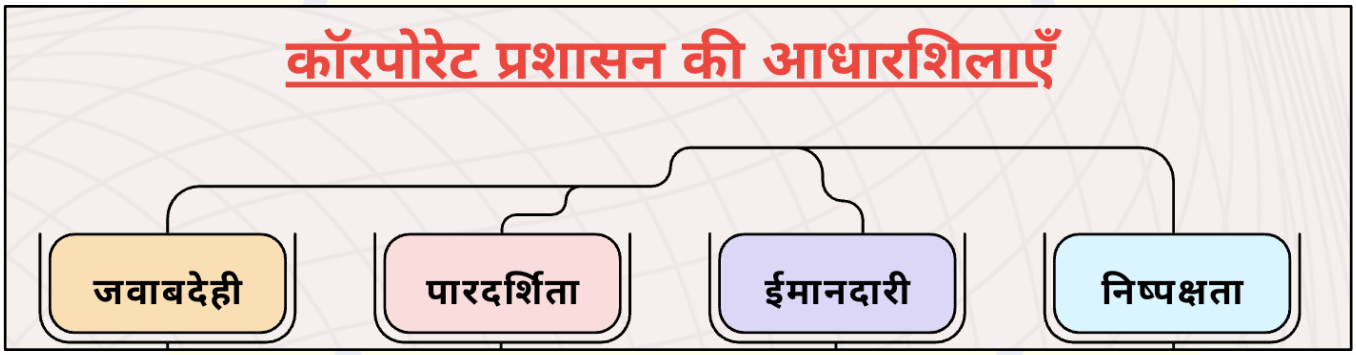

- **कॉर्पोरेट कदाचार रोकना: गवर्नेंस फ्रेमवर्क** कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को कम करते हैं। उदाहरण: **सत्यम घोटाला (2009)**, जहां कमजोर निगरानी के कारण ₹7,000 करोड़ का **लेखा-परीक्षण धोखाधड़ी** हुआ।
- **हितधारकों की सुरक्षा: अच्छी गवर्नेंस** निवेशकों और **सार्वजनिक विश्वास** की रक्षा करती है। उदाहरण: **सेबी बनाम सहारा मामला (2012)** में **पारदर्शी फंडिंग और निवेशक सुरक्षा** को महत्व दिया गया।
- **नैतिक सिद्धांत से संबंध: कॉर्पोरेट गवर्नेंस कांटियन नैतिकता** के अनुरूप है—कर्तव्य के अनुसार कार्य करना और **हितधारकों** को साधन नहीं बल्कि उद्देश्य के रूप में मानना।
- **सततता से संबंध: गवर्नेंस प्रथाएँ पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG)** को लागू करती हैं, जिससे **दीर्घकालिक मूल्य निर्माण** सुनिश्चित होता है, केवल **अल्पकालिक लाभ** नहीं।
- **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) से मेल: SDG-16 (शांति, न्याय और मजबूत संस्थान)** और **SDG-12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन)** को बढ़ावा देती है।
- **पारदर्शिता एक गुण के रूप में: गुण नैतिकता** बोर्डरूम में **ईमानदारी, साहस और जवाबदेही** विकसित करने की मांग करती है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नैतिक सिद्धांत और विद्वान:

उपयोगितावाद (Utilitarianism) — जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल:	• **उपयोगितावादी नैतिकता** कहती है कि हर **कॉर्पोरेट निर्णय** का उद्देश्य सभी **हितधारकों** के **कुल कल्याण** को अधिकतम करना होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार, नैतिक रूप से सही कार्य वह है जो **अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम भलाई** पैदा करे। • **कॉर्पोरेट गवर्नेंस** में यह **सीएसआर, सततता, उचित वेतन, और उपभोक्ता संरक्षण** जैसी नीतियों का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि ये **अधिकतम सामाजिक लाभ** उत्पन्न करती हैं।
कर्तव्य आधारित नैतिकता (Deontological Ethics) — इमैनुएल कांट:	• **कांटियन नैतिकता** बताती है कि कंपनियों को **नैतिक कर्तव्यों** का पालन करना चाहिए और **व्यक्तियों के अधिकारों** का सम्मान करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हों। इसका अर्थ है कि **कॉर्पोरेट नेता** ईमानदारी, पारदर्शिता, और कर्मचारियों की **गरिमा का सम्मान** सुनिश्चित करें। • यह **व्हिसलब्लोअर सुरक्षा, सटीक खुलासे, और निदेशकों की फिड्यूशियरी जिम्मेदारी** जैसे नैतिक मानदंडों की आधारशिला है।
गुण आधारित नैतिकता (Virtue Ethics) — अरस्तू:	• **गुण नैतिकता** बताती है कि **नैतिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस** व्यवसायिक नेताओं के **चरित्र** से उत्पन्न होती है। अरस्तू के अनुसार **ईमानदारी, निष्पक्षता, साहस, विवेक और जवाबदेही** नैतिक व्यवहार को परिभाषित करते हैं। • **गुणी नेतृत्व वाली कंपनी** स्वाभाविक रूप से **नैतिक संस्कृति** बनाती है, **निष्पक्षता** को बढ़ावा देती है और **धोखाधड़ी या शोषण** से बचती है।
गांधीवादी नैतिकता — महात्मा गांधी:	• गांधी का **ट्रस्टीशिप मॉडल** व्यवसायिक नेताओं को **सामाजिक संसाधनों का ट्रस्टी** मानता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कंपनियां **कर्मचारियों के कल्याण**, **उचित वेतन**, **ईमानदारी**, और **शोषण से बचाव** सुनिश्चित करें। यह **भारत की सीएसआर दर्शन और नैतिक व्यापार परंपराओं** को गहरा प्रभावित करता है।
नैतिक स्वार्थवाद (Ethical Egoism) — ऐन रैंड:	• **नैतिक स्वार्थवाद** कहता है कि **व्यक्ति और कंपनियां** केवल **अपने स्वार्थ में कार्य करें**, जब तक कि वे **अन्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन** न करें। यह **कुशलता और नवाचार** को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी की चिंता को कमजोर कर सकता है। यह अक्सर **हितों के टकराव** और **कॉर्पोरेट कदाचार** के अध्ययन में चर्चा में आता है।
त्रिपक्षीय लाभ (Triple Bottom Line) — जॉन एल्किंगटन:	• **त्रिपक्षीय लाभ ढांचा** कहता है कि कंपनियों को सफलता का मूल्यांकन केवल **लाभ** से नहीं बल्कि **लोगों और पर्यावरण पर प्रभाव** से भी करना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत **नैतिक**

	गवर्नेंस पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जिम्मेदारी, जलवायु-सचेत निर्णय और सतत व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देती है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत:

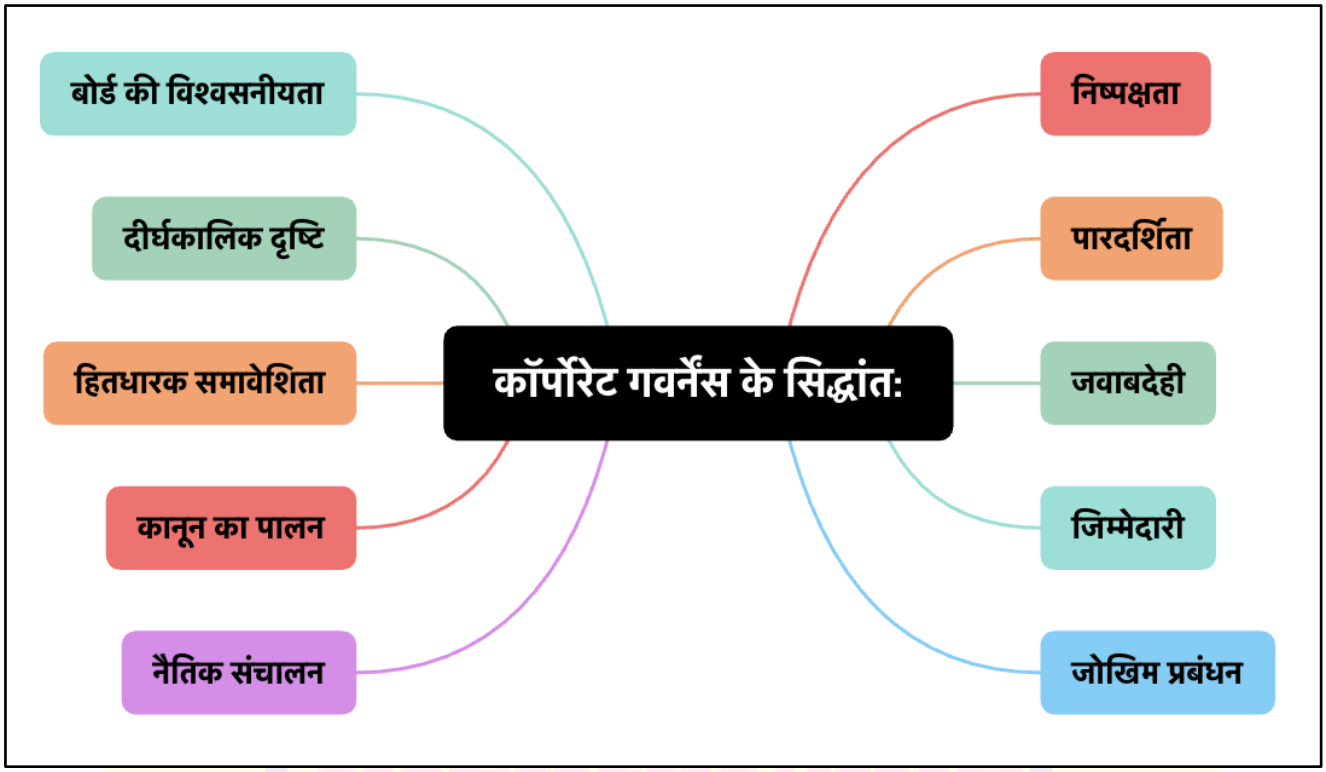

- **निष्पक्षता:** निष्पक्षता का अर्थ है सभी **शेयरधारकों और हितधारकों** के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना। **कोटक समिति (2017)** ने इस सिद्धांत को मजबूत किया, **महिला स्वतंत्र निदेशकों** की नियुक्ति अनिवार्य करके **बोर्ड निर्णयों में समानता और विविधता** बढ़ाई।
- **पारदर्शिता:** पारदर्शिता का अर्थ है कंपनी की जानकारी का **समय पर और सच्चा खुलासा** करना। **इन्फोसिस** जैसी कंपनियों ने **व्हिसलब्लोअर मामलों** की सार्वजनिक रिपोर्टिंग करके **हितधारक विश्वास** बढ़ाया और **सूचना असमानता** कम की।
- **जवाबदेही:** जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि **बोर्ड और सीईओ** अपने कार्यों और निर्णयों के लिए **व्याख्या** दें। **सेबी के सीईओ वेतन खुलासे के नियम** कॉर्पोरेट नेताओं को **प्रदर्शन और शेयरधारकों के हितों के अनुरूप** क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रेरित करते हैं।
- **जिम्मेदारी:** जिम्मेदारी का अर्थ है **सिर्फ शेयरधारकों नहीं, बल्कि समाज के व्यापक हित** में कार्य करना। **कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर प्रावधान** इस नैतिक दायित्व को संस्थागत रूप देते हैं, जिससे कंपनियों को **सामाजिक कल्याण में निवेश** करना अनिवार्य होता है।
- **जोखिम प्रबंधन:** प्रभावी गवर्नेंस में **वित्तीय, साइबर और संचालन संबंधी जोखिम** की पहचान और न्यूनीकरण शामिल है। **IL&FS संकट (2019)** के बाद, बोर्ड से अपेक्षा की जाती है कि वे **मजबूत जोखिम निगरानी ढांचे** बनाए रखें।
- **नैतिक संचाल:** बोर्ड को **नैतिक संरक्षक** के रूप में कार्य करना चाहिए जो **दीर्घकालिक हितधारक मूल्य** की रक्षा करे। यह विचारधारा **हितधारक पूंजीवाद** को बढ़ावा देती है और केवल **लाभ अधिकतम करने वाले व्यवहार** से आगे जाती है।
- **कानून का पालन:** अच्छी गवर्नेंस के लिए **नियमों के अक्षर और भावना** दोनों का पालन आवश्यक है। **टाटा समूह** जैसी कंपनियां इसे अपने **मजबूत कानूनी और नैतिक अनुपालन संस्कृति** के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

- **हितधारक समावेशिता: रॉल्स के न्याय सिद्धांत** से प्रेरित, समावेशिता में **सुरक्षित हितधारकों** के हितों की रक्षा शामिल है। नैतिक बोर्ड **कर्मचारियों, समुदायों और छोटे निवेशकों** को ध्यान में रखते हैं, न कि केवल बहुमत शेयरधारकों को।
- **दीर्घकालिक दृष्टि):** नैतिक गवर्नेंस **लघुकालिक लाभ की बजाय दीर्घकालिक सततता** को प्राथमिकता देती है। **कोटक महिंद्रा बैंक** की दीर्घकालिक **ईएसजी रणनीति** दिखाती है कि भविष्य-उन्मुख नीतियां कंपनी की **नैतिक स्थिति** को मजबूत करती हैं।
- **बोर्ड की विश्वसनीयता:** विविधता, स्वतंत्रता और विशेषज्ञता वाला बोर्ड **नैतिक असफलताओं** को कम करता है। **सेबी के 2018 वार्षिक बोर्ड मूल्यांकन आदेश** यह सुनिश्चित करते हैं कि बोर्ड **कुशल, पारदर्शी और भरोसेमंद** बना रहे।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चार Ps:

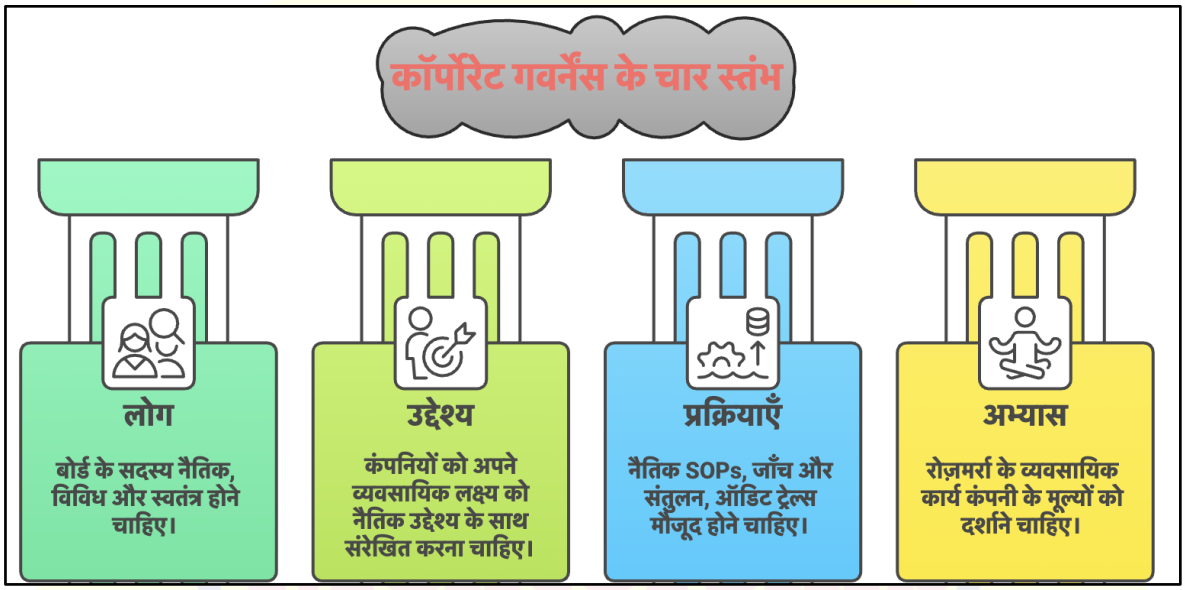

- **लोग (People):** बोर्ड के सदस्य **नैतिक, विविध और स्वतंत्र** होने चाहिए—**टाटा संस के पुनर्गठन** ने मिस्त्री मामले के बाद इस बात को उजागर किया।
- **उद्देश्य (Purpose):** कंपनियों को अपने **व्यवसायिक लक्ष्य** को **नैतिक उद्देश्य** के साथ संरेखित करना चाहिए, जैसे **महिंद्रा एंड महिंद्रा की ग्रामीण स्थिरता पहल**।
- **प्रक्रियाएँ (Processes): नैतिक SOPs, जाँच और संतुलन, ऑडिट ट्रेल्स** मौजूद होने चाहिए ताकि **अधिकार का दुरुपयोग** रोका जा सके।
- **अभ्यास (Practices):** रोज़मर्रा के **व्यवसायिक कार्य** कंपनी के **मूल्यों** को दर्शाने चाहिए—**विप्रो का आचार संहिता** यह सुनिश्चित करता है कि **कथन और क्रिया में संगति** बनी रहे।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रमुख घटक:

- **बोर्ड संरचना :** सूचीबद्ध कंपनियों को कम से कम **एक महिला निदेशक** और **एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक** नियुक्त करने चाहिए (SEBI)। यह **लैंगिक विविधता** सुनिश्चित करता है और **प्रमोटर प्रभुत्व** को रोकता है, जिससे **निगरानी और संतुलित निर्णय-निर्माण** मजबूत होता है।
- **बोर्ड समितियाँ : विशेषीकृत समितियाँ—ऑडिट, नामांकन और पारिश्रमिक**—जाँच और संतुलन सुनिश्चित करती हैं। ये **प्रबंधन से निगरानी को अलग** करती हैं, **सीईओ-केंद्रित नियंत्रण** कम करती हैं और **पारदर्शी नियुक्तियाँ, वेतन संरचनाएँ और वित्तीय निगरानी** सुनिश्चित करती हैं।

- **शेयरधारक अधिकार :** शेयरधारक **मतदान, खातों का निरीक्षण, प्रस्ताव दायर करना और लाभांश प्राप्त करना** कर सकते हैं। यह उन्हें **प्रबंधन से प्रश्न करने** और **कंपनी की संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने** में सक्षम बनाता है, जिससे **कॉर्पोरेट निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक** बनती है।
- **अल्पसंख्यक संरक्षण : धारा 245 (कंपनी अधिनियम)** के तहत, अल्पसंख्यक निवेशक **क्लास एक्शन सूट** दायर कर सकते हैं। यह **अधिकांश शेयरधारक या प्रमोटर** द्वारा छोटे निवेशकों के **शोषण को रोकता है**।
- **प्रकटीकरण मानदंड :** सूचीबद्ध कंपनियों को **GAAP/IFRS लेखांकन प्रणाली** का पालन करना और **त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय विवरण** प्रकाशित करना आवश्यक है। यह **पारदर्शिता** बढ़ाता है और निवेशकों को **कंपनी की स्थिति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन** करने की अनुमति देता है।
- **गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग :** शीर्ष 1000 कंपनियों को **BRSR (व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग)** का पालन करना चाहिए, जो **पर्यावरण, सामाजिक प्रभाव और गवर्नेंस प्रथाओं** पर डेटा प्रदान करता है—**सतत और नैतिक व्यवसाय संचालन** को बढ़ावा देता है।
- **प्रमोटरों की भूमिका :** SEBI **अत्यधिक प्रमोटर प्रभाव** को सीमित करता है। उदाहरण: 2019 में SEBI आदेश ने **विरोधाभास** उजागर किया जब **समान प्रमोटर** अध्यक्ष और सीईओ दोनों थे, जिससे **शक्ति का पृथक्करण** मजबूत हुआ।
- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण :** SEBI LODR **आंतरिक व्हिसलब्लोअर तंत्र** अनिवार्य करता है। **इन्फोसिस 2019 व्हिसलब्लोअर मामला** दिखाता है कि **गुमनाम शिकायतें** कैसे **गवर्नेंस दोषों को उजागर** कर सकती हैं और **स्वतंत्र जांच** को प्रोत्साहित करती हैं।
- **हितधारक सहभागिता :**कंपनियों को **वार्षिक आम बैठकें, प्रश्नोत्तर सत्र, निवेशक प्रस्तुति** आयोजित करनी चाहिए और **सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ** प्रकाशित करनी चाहिए। यह **दो-तरफा संवाद** को सक्षम बनाता है और **कर्मचारियों, निवेशकों, ग्राहकों और समुदायों के प्रति जवाबदेही** सुनिश्चित करता है।
- **नैतिक ऑडिटिंग : आंतरिक, वैधानिक और फोरेंसिक ऑडिट** धोखाधड़ी और गवर्नेंस विफलताओं को जल्दी पहचानते हैं। **ICICI–वायडेकोन ऋण मामला** यह साबित करता है कि **अशिष्ट आचरण का पता लगाने के लिए मजबूत ऑडिट सिस्टम** आवश्यक हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नैतिक चुनौतियाँ:

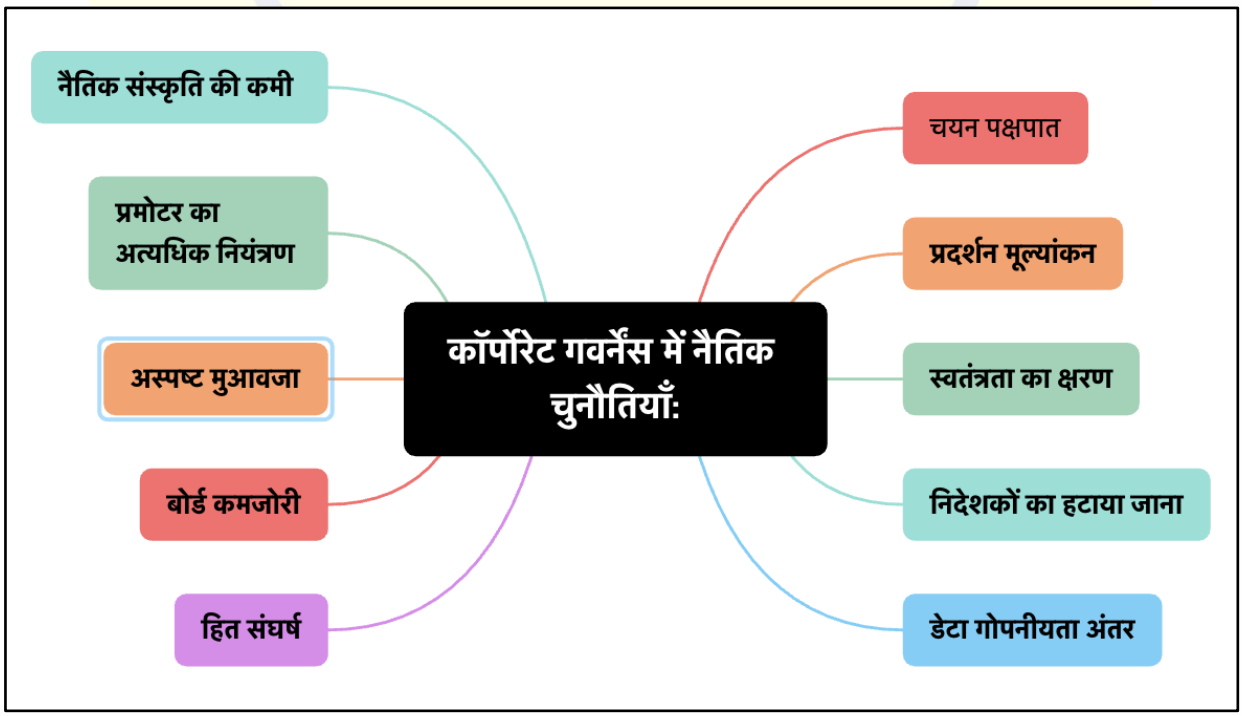

- **चयन पक्षपात :** प्रमोटर अक्सर निदेशकों की **नियुक्ति** में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे **बोर्ड की स्वतंत्रता** प्रभावित होती है; **टाटा–मिस्त्री संघर्ष** ने दिखाया कि बोर्ड नियुक्तियाँ **अंतर-आंतरिक सत्ता संघर्ष** का माध्यम बन सकती हैं, न कि **योग्यता आधारित चयन**।
- **प्रदर्शन मूल्यांकन :** जब बोर्ड के पास **पारदर्शी मूल्यांकन मानदंड** नहीं होते, तो **जवाबदेही कमजोर** हो जाती है; SEBI अब **मूल्यांकन विधियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण** अनिवार्य करता है ताकि बोर्ड **अस्पष्ट प्रक्रियाओं के पीछे अक्षमता** छिपा न सके।
- **स्वतंत्रता का क्षरण :** स्वतंत्र निदेशक **प्रमोटरों के निकट संबंध** होने पर **वस्तुनिष्ठता खो देते हैं**; **ICICI–वायडेकोन ऋण घोटाला** ने दिखाया कि **व्यक्तिगत संबंध नैतिक निर्णय** को कमजोर कर सकते हैं और **हित संघर्ष** उत्पन्न कर सकते हैं।
- **निदेशकों का हटाया जाना :** स्वतंत्र निदेशक **सावधानियाँ उठाने पर प्रतिशोध** का सामना कर सकते हैं; **Fortis Healthcare मामला (2018)** में **विरोधी निदेशकों को हटाया गया**, जिससे बोर्ड में **नैतिक निगरानी कमज़ोर** हुई।
- **डेटा गोपनीयता अंतर :** बोर्ड अक्सर **डेटा प्रबंधन की अनदेखी** करता है, जिससे **ग्राहक विश्वास** जोखिम में पड़ता है; RBI की **2018 फिनटेक डेटा दिशानिर्देश** कई संस्थानों द्वारा **संवेदनशील वित्तीय डेटा के दुरुपयोग** के कारण लागू किए गए।
- **हित संघर्ष : इनसाइडर ट्रेडिंग और संबंधित-पक्ष लेनदेन निष्पक्षता** को प्रभावित करते हैं; **NSE को-लोकेशन घोटाला** ने दिखाया कि **विशेषाधिकार प्राप्त पहुँच का दुरुपयोग** बाजार को विकृत कर सकता है और **निवेशक विश्वास** को धोखा दे सकता है।
- **बोर्ड कमजोरी :** कौशल और पृष्ठभूमि में **कम विविधता** निर्णय-निर्माण को कमजोर करती है; SEBI का नियम कि **कम से कम एक महिला निदेशक** होनी चाहिए, बोर्ड की **क्षमता मजबूत** करने और **समानता सोच** कम करने के लिए बनाया गया।
- **अस्पष्ट मुआवजा :** जब **सीईओ वेतन** कंपनी के प्रदर्शन के अनुरूप नहीं होता, तो यह **असमानता और कमजोर गवर्नेंस** पैदा करता है; **YES Bank संकट** अत्यधिक मुआवजे के कारण वित्तीय गिरावट के बावजूद उत्पन्न हुआ।
- **प्रमोटर का अत्यधिक नियंत्रण :** अत्यधिक प्रमोटर नियंत्रण बोर्ड की **स्वतंत्र कार्यक्षमता** को रोकता है; SEBI के **2019 मानदंड** ने **अध्यक्ष और सीईओ की भूमिकाओं को अलग** करने का नियम बनाया ताकि प्रमोटर प्रभुत्व को कम किया जा सके।
- **नैतिक संस्कृति की कमी :** बिना **मूल्यों-आधारित संस्कृति** के, कंपनियाँ केवल **अनुपालन** पर निर्भर रहती हैं, जिससे **घोटाले, धोखाधड़ी और प्रतिष्ठा हानि** का जोखिम बढ़ता है; **नैतिक संस्कृति दीर्घकालिक स्थिरता** सुनिश्चित करती है, जो केवल नियामक जाँच से परे है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए उठाए गए उपाय/पहल:

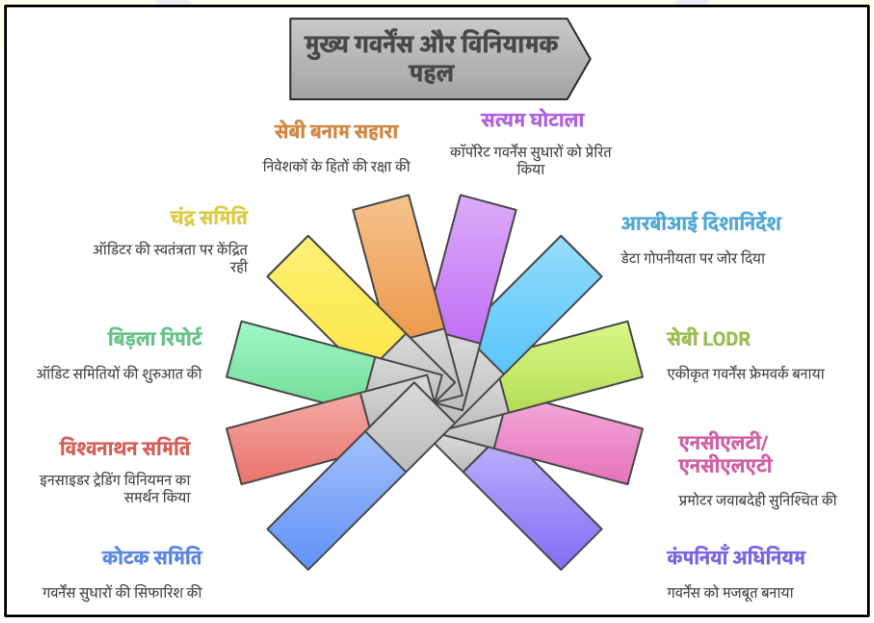

कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आवश्यक सुधार:

- **बोर्ड की स्वतंत्रता को मजबूत करना :** निदेशकों की नियुक्तियों को प्रमोटर प्रभाव से **अलग** करके **स्वतंत्र चयन पैनल** के माध्यम से बोर्ड स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए। पूर्व ऑडिटर्स, सलाहकारों और KMPs के लिए **कूलिंग-ऑफ अवधि** अनिवार्य होनी चाहिए इससे पहले कि वे कॉर्पोरेट बोर्ड में शामिल हों।
- **अध्यक्ष और सीईओ की भूमिका का अनिवार्य पृथक्करण :** अध्यक्ष और सीईओ की भूमिकाओं का अलग होना **शक्ति के संकेंद्रण** को रोकता है और **प्रभावी नियंत्रण और संतुलन** को बढ़ावा देता है। यह सुधार **कैडबरी कमेटी, OECD सिद्धांत, और कोटक कमेटी** द्वारा सुझाए गए वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों के अनुरूप है।
- **स्वतंत्र निदेशक चयन और हटाने में सुधार :** स्वतंत्र निदेशक **पारदर्शी और योग्यता-आधारित नामांकन प्रक्रिया** के माध्यम से नियुक्त किए जाने चाहिए, जैसे कि **यूके के नामांकन समिति मॉडल**। मनमाना हटाना रोकने के लिए सख्त मानक लागू किए जाने चाहिए और कंपनियों को **सार्वजनिक रूप से विस्तृत त्याग कारण** बताना अनिवार्य होना चाहिए।
- **बोर्ड विविधता और क्षमता को बढ़ाना :** कॉर्पोरेट बोर्ड में **महिला निदेशक** और **वित्त, जोखिम, साइबर सुरक्षा, और ESG क्षेत्र के विशेषज्ञ** शामिल होने चाहिए। **अनिवार्य प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम** निदेशकों को अद्यतन ज्ञान और पेशेवर क्षमता सुनिश्चित करेंगे।
- **ऑडिट गुणवत्ता को मजबूत करना (Strengthening Audit Quality):**
  ऑडिट गुणवत्ता को **हर पाँच साल में ऑडिट फर्म के रोटेशन**, **नॉन-ऑडिट सेवाओं की रोकथाम**, और **आर्थिक रूप से संवेदनशील या उच्च जोखिम वाली कंपनियों के लिए फोरेंसिक ऑडिट** अनिवार्य करके सुधारना चाहिए, जैसा कि **IL&FS संकट** के बाद सुझाया गया।
- **सशक्त व्हिसलब्लोअर सुरक्षा :** स्वतंत्र और गोपनीय व्हिसलब्लोअर सिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए। **समयबद्ध जांच**, **बोर्ड-स्तरीय निगरानी**, और **कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा** प्रदान करके धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग को सुरक्षित बनाया जाए।
- **प्रकटीकरण और पारदर्शिता में सुधार :** कंपनियों को **संबंधित-पक्ष लेनदेन, सीईओ मुआवजा अनुपात, ESG मेट्रिक्स, और राजनीतिक दान** पर वास्तविक समय के प्रकटीकरण बढ़ाने चाहिए। **एकसमान XBRL-आधारित रिपोर्टिंग** वित्तीय सटीकता और तुलनीयता सुनिश्चित करेगी।
- **अल्पसंख्यक शेयरधारक सुरक्षा को मजबूत करना : अल्पसंख्यक शेयरधारकों** की सुरक्षा के लिए **सेक्शन 245 के तहत क्लास-एक्शन मामलों का विस्तार** और **प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्मों के लिए कानूनी समर्थन** आवश्यक है। बड़े RPTs, विलय और संपत्ति बिक्री के लिए **सुपर-मेजरिटी अनुमोदन** अनिवार्य होना चाहिए।
- **मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा :** बोर्ड को **साइबर-जोखिम, जलवायु-जोखिम, और एंटरप्राइज-जोखिम प्रबंधन** के लिए अनिवार्य समितियां बनानी चाहिए। **उन्नत AI आधारित धोखाधड़ी पहचान उपकरण** और **नियतकालिक जोखिम ऑडिट** Yes Bank जैसी विफलताओं को रोकने में मदद करेंगे।
- **डेटा संरक्षण अनुपालन :** निगमों को **डेटा संरक्षण अधिनियम** का पालन करना चाहिए, जैसा कि **श्रीकृष्ण समिति की सिफारिशों** में उल्लेख है, जिसमें **अनिवार्य डेटा ऑडिट और प्राइवेसी-बाय-डिज़ाइन प्रोटोकॉल** शामिल हैं।
- **नियामक निगरानी को मजबूत करना (Strengthening Regulatory Oversight):** SEBI को **अधिक स्वायत्तता, संसाधन, और प्रवर्तन शक्ति** प्रदान करनी चाहिए ताकि आधुनिक कॉर्पोरेट प्रथाओं को नियंत्रित किया जा सके। **SEBI, RBI, CCI, SFIO, और ED** के बीच समन्वय जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की **त्वरित जांच** सुनिश्चित करेगा।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना :** भारत को अपनी गवर्नेंस संरचना को **OECD सिद्धांत, UK कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, और US सार्बेन्स–ऑक्सले मानकों** के अनुरूप बनाना चाहिए। **इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग (IR)** अपनाने से पारदर्शिता और **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता** बढ़ेगी।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमुख समितियाँ:

बिरला समिति (SEBI – 1999)	नरेश चंद्रा समिति (2002)	नारायण मूर्ति समिति (SEBI – 2003)
• **अध्यक्ष और सीईओ का पृथक्करण:** शक्ति के संकेंद्रण को रोकने, हित संघर्ष कम करने और संतुलित निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए। • **आचार संहिता:** निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए नैतिक दिशा-निर्देश अनिवार्य किए, ताकि पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा दिया जा सके।	• **ऑडिटर रोटेशन और गैर-ऑडिट सेवाओं पर रोक:** ऑडिटर की स्वतंत्रता बनाए रखने और उसी फर्म द्वारा परामर्श + ऑडिट से उत्पन्न हित संघर्ष को समाप्त करने के लिए। • **सीईओ/सीएफओ द्वारा खातों का प्रमाणन:** शीर्ष नेतृत्व को वित्तीय सटीकता की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी कम करने के लिए। • **स्वतंत्र निदेशकों के लिए मानदंड:** बोर्ड निर्णयों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कंपनी के साथ वित्तीय संबंधों पर प्रतिबंध।	• **स्वतंत्र और सक्षम ऑडिट समिति:** कंपनी खातों और आंतरिक नियंत्रणों की सूचित समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय साक्षरता आवश्यक। • **अनिवार्य व्हिसलब्लोअर तंत्र:** कर्मचारियों को भ्रष्टाचार या अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक औपचारिक प्रणाली प्रदान की गई, बिना किसी डर के।

निष्कर्ष: कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सतत् व्यवसाय की नैतिक रीढ़ है। **सत्यं स्कैम, IL&FS, और ICICI–वाइडिकॉन** जैसी घोटालों से यह स्पष्ट होता है कि नैतिक विफलताएँ **सार्वजनिक विश्वास और आर्थिक स्थिरता** को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए, **गवर्नेंस को नैतिक सिद्धांतों, वैश्विक मानकों और कानूनी सुधारों** के साथ संरेखित करना आवश्यक है। जैसा कि **महात्मा गांधी** ने कहा था, "**एक व्यवसाय जो केवल पैसा कमाता है, वह एक गरीब व्यवसाय है।**" अतः **अच्छा गवर्नेंस केवल कानूनी कर्तव्य नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है।**